

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 349/11 एस0टी0

मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुलिस थाना गोहद  
जिला भिण्ड म0प्र0

-----अभियोजन

बनाम

छुन्ना उर्फ रविन्द्र पुत्र लाखन सिंह गुर्जर, उम्र  
30 साल निवासी ग्राम डांग पुलिस थाना गोहद  
चौक

-----आरोपी

//आ दे श//

अन्तर्गत धारा 232 द0प्र0सं0

//आज दिनांक 3-9-2014 को पारित किया गया//

1- आरोपी का विचारण धारा 294,323,436 भा0द0सं0 के अपराध के संबंध में किया जा रहा है । उस पर आरोप है कि दिनांक 5-4-11 को समय सात बजे ग्राम डांग गोहद चौराहा में फरियादी जन्नोबाई को घर से बाहर सार्वजनिक स्थान पर उससे अश्लील गाली गलोज कर उसे तथा अन्य सुनने वालों को छोब कारित किया । उस पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक समय पर आहत जन्नोबाई को मारपीट कर उन्हें साधारण उपहति कारित की । उस पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी जन्नोबाई की मडैया जो कि मानव निवास हेतु उपयोग में आती है में माचिस से आग लगाकर फरियादिया को बीस हजार रुपये का नुकसान कारित करके रिष्टि कारित की ।

2- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि, दिनांक 5-4-11 को साम को करीब सात बजे की बात है फरियादिया जन्नोबाई अपने ग्राम डांग में स्थित अपने घर के दरवाजे पर बैठी थी उसका पति गेहूं काटने के लिये गया था । उसी समय गांव का छुन्ना उसके लडके इन्दर से बोला कि पैसे दे दे । उसके लडके ने कहा कि पांच सौ रुपये ले लो तो आरोपी बोला कि बीस हजार रुपये देने पड़ेंगे तीन साल हो गये हैं । अनबर ने कहा कि पांच सौ रुपये के इतने रुपये थौड़े होते हैं तो आरोपी ने उसके लडके अनबर को पकड़कर मारपीट की तो वह बचाव करने के लिये गयी तो उसे भी पत्थर सिर पर मारा और पटककर लात घूसों से मारपीट की । आरोपी को मादरचोद की गाली देते हुये कह रहे थे कि मडैया में आग लगा देता हूं तत्पश्चात् आरोपी ने माचिस की काडी जलाकर मडैया में आग लगा दी जिससे मडैया जल गयी । घटना के समय गवाह मनीष, गुडडीबाई मौजूद थी । उक्त संबंध

में रिपोर्ट किये जाने पर आहतों का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया । नुक्सानी पंचनामा तैयार किया गया जिसके अनुसार मडैया जलाने पर बीस हजार रुपये के नुक्सान का अनुमान आंकलित किया गया । घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया । आरोपी की गिरफ्तारी की गयी । संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया ।

3- अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया धारा 294, 323, 436 भा०द०सं० का आरोप पाये जाने से आरोप पत्र पढकर सुनाये समझाये जाने पर आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया । उसकी प्ली लेखबद्ध की गयी ।

4- अभियुक्तपरीक्षण किया गया तो अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होना अभिकथित किया गया ।

5- आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1-क्या दिनांक 5-4-11 को ग्राम डांग थाना गोहद चौराहा क्षेत्र में आरोपी के द्वारा फरियादिया जन्नोबाई को सार्वजनिक स्थान या उसके निकट अश्लील गाली गलोच कर उसे व अन्य सुनने वालों को छेब कारित किया ।

2-क्या उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आरोपी के द्वारा फरियादी जन्नोबाई एवं आहत अनबर को मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की ?

3-क्या आरोपीगण के द्वारा फरियादिया जन्नोबाई की मडैया जो कि मानव निवास हेतु उपयोग में आती है में माचिस से आग लगाकर बीस हजार रुपये का नुक्सान कर फरियादिया को रिष्टि कारित की ?

//निष्कर्ष के आधार//

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 लगायत 3:-

6- अभियोजन के द्वारा फरियादिया जन्नोबाई अ०सा०1, आहत अनबर खां अ०सा०2, गुडडीबाई अ०सा०3, ईशाक खां अ०सा०4, डॉ० धीरज गुप्ता अ०सा०5, एस०आई० बी०एल०बंसल अ०सा०6 के कथन कराये हैं ।

7- घटना की फरियादिया जन्नोबाई अ०सा०1 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया है । उसके द्वारा केवल यह बताया है कि करीब दो साल पहले झगडा हो गया था । लोगों के कहने पर उसने रिपोर्ट की थी । उक्त फरियादिया को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गये हैं किन्तु सूचक प्रश्नों में उसके कथनों में अभियोजन प्रकरण का समर्थन करने का कोई भी तथ्य नहीं आया है । साक्षी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०1 में बतायी हुयी सूचना के तथ्य भी पुलिस को न लिखवाना उसके द्वारा बताया गया है । प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया कि आरोपी के द्वारा उसके साथ कोई मारपीट नहीं की गयी और न ही उसकी मडैया में आग लगायी

गयी । इस प्रकार जहां तक फरियादिया के साक्ष्य कथन में कहीं भी आरोपी के घटना दिनांक को घटनास्थल पर मौजूद होना तथा उसके द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित किये जाने के संबंध में कोई भी साक्ष्य नहीं आयी है ।

8— घटना के संबंध में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षी अनबर खां अ0सा02 के कथन में भी अभियुक्त के घटनास्थल पर मौजूद होना अथवा कोई घटना उसके द्वारा कारित किये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं आयी है । साक्षी के द्वारा केवल यह बताया गया है कि उनकी मडैया में किसी ने आग लगा दी थी । वह देख नहीं पाया था कि आग किसने लगायी थी । इस प्रकार उक्त साक्षी के कथन में भी कहीं भी वर्तमान आरोपी को घटना में सामिल होने अथवा घटना कारित करने हेतु कोई साक्ष्य विद्यमान होना नहीं पायी जाती ।

9— घटना के संबंध में अन्य चच्छूदर्शी साक्षी गुडडी बाई अ0सा03 एवं अन्य बताये गये साक्षी ईशाक खां अ0सा04 के कथनों में भी आरोपी के घटना में सामिल होने या किसी प्रकार की घटना कारित किये जाने वाबत् कोई साक्ष्य नहीं आयी है ।

10— चिकित्सक डॉ0धीरज गुप्ता अ0सा05 जिन्होंने कि आहता जन्नोबाई एवं आहत अनबर खां का चिकित्सीय परीक्षण किया है । आहता जन्नोबाई को कंटीयूजन बांयी आंख के उपर, सिर के पीछे और दांयी तरफ छाती पर होना तथा आहत अनबर खां को बांयी तरफ लंबर ऐरिया में कंटीयूजन पाये जाने अभिकथित किया है जो कि इस संबंध में उनकी रिपोर्ट प्र0पी07 एवं 8 होना बताया गया है । प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि आहतों को आयी हुयी चोट पथरीली जगह पर गिरने से आ सकती है । इस संबंध में घटना की आहता जन्नोबाई अ0सा01 तथा आहत अनबर अ0सा02 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में कहीं भी आरोपी के द्वारा उन्हें चोटें पहुंचाना नहीं बताया है । ऐसी दशा में मात्र चिकित्सीय प्रतिवेदन के आधार पर जिसमें कि आहतों को चोटें पायी गयी हैं । आरोपी को घटना में संलग्न होना अथवा उसे दोष सिद्ध ठहराये जाने वाबत् कोई साक्ष्य होना नहीं मानी जा सकती ।

11— प्रकरण के प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक एवं विवेचक बी0एल0बंसल अ0सा06 जिन्होंने फरियादिया जन्नोबाई की रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी01 लेखबद्ध करना, घटनास्थल का नक्शा मौका प्र0पी0 2 बनाया जाना तथा नुक्सानी पंचनामा प्र0पी0 9 तैयार करना और साक्षियों के कथन लेखबद्ध करना तथा आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0 10 तैयार करना अभिकथित किया है । किन्तु मात्र इस आधार पर कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट वर्तमान साक्षी के द्वारा लेखबद्ध की गयी है । जबकि फरियादिया जन्नोबाई ने प्रथम सूचना रिपोर्ट का कोई समर्थन नहीं किया है जिससे कि आरोपी के घटना में संलग्न होने का तथ्य का पता चलता हो । विवेचक के द्वारा अन्य की गयी विवेचना की कार्यवाही के आधार पर भी आरोपी को आरोपित अपराध में दोष सिद्ध ठहराये जाने हेतु कोई

आधार होना भी नहीं माना जा सकता ।

12- उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में जबकि प्रकरण की फरियादिया जन्नोबाई अ०सा०1, आहत अनबर अ०सा०2 तथा अन्य साक्षी गुडडीबाई अ०सा०3 तथा ईशाक खां अ०सा०4 के कथनों में कहीं भी ऐसा साक्ष्य नहीं आया जिससे कि आरोपी को लगाये गये किसी भी आरोप के संबंध में दोष सिद्ध ठहराया जा सके । प्रकरण में अन्य कोई परिस्थितिजन्य या अन्य साक्ष्य भी मौजूद नहीं है जिससे कि आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जा सके ।

13- उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आरोपी को प्रकरण में दोषसिद्ध ठहराये जाने के साक्ष्य विद्यमान न होने से आरोपी छुन्ना उर्फ लाखनसिंह को धारा 294, 323, 436 भा०द०सं० के आरोप से दोष मुक्त किया जाता है ।

14- प्रकरण में कोई जप्त सुदा संपत्ती नहीं है ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित

हस्ताक्षरित एवं पारित किया गया ।

सही / -

(डी०सी०थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश

जिला भिण्ड

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

सही / -

(डी०सी०थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश

जिला भिण्ड